



राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, मुंगेर
सादर अस्पताल, मुंगेर




आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA, 2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता जो सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।


प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

1. प्रखंड विकास पदाधिकारी	—	अध्यक्ष
2. प्रमारी चिकित्सा पदाधिकारी	—	समन्वयक सदस्य
3. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी	—	सदस्य
4. प्रखंड कृषि पदाधिकारी	—	सदस्य
5. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	—	सदस्य
6. प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक	—	सदस्य
7. संबंधित थानाध्यक्ष	—	सदस्य

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में इस छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। वे आवश्यकतानुसार अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्त कर सकेंगे। साथ ही उनके द्वारा प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें ली जा सकेंगी।


सिविल सर्जन
मुंगेर


उपविकास आयुक्त
मुंगेर



जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर।

ज्ञापांक 15 (तम्बाकू) / मुंगेर, दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक-एक प्रति सभी संबंधित पदा० को तामिला कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाए साथ ही निर्देशित किया जाता है कि आप सभी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत कार्यालयों/सार्वजनिक स्थानों को तम्बाकू एवं धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित करने एवं इस हेतु आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करेंगे एवं पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी थानाध्यक्षों / पुलिस निरीक्षकों / पुलिस उपाधीक्षकों को तदनुसार आवश्यक कार्यार्थ निदेश देने की कृपा की जाए।


3/2/13





जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर।

ज्ञापांक 15 (तम्बाकू) / मुंगेर, दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, सीडस, 303 बसन्ती कुन्ज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, पटना एवं सीनियर मैनेजर प्रोग्राम पी० एस० आई० साई कृपायतन आशियाना दीघा रोड रामनगर मोड़ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



3/2/13





जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर।

ज्ञापांक 15 (तम्बाकू) / मुंगेर, दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि : राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार पटना / राज्य सलाहकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना, आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर / पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर, कार्यपालक निदेशक-सह-स्वास्थ्य सचिव, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना एवं प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


3/2/13




जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर।

जिंदगी चुनिए तम्बाकू नहीं